न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/349

1. जयराम आत्मज रामनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. तुलसा बाई पत्नी जयराम जाति मीना निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नेनवा ।
3. राजेन्द्र आत्मज जयराम जाति मीना निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा ।
4. सुनिता पुत्री जयराम जाति मीना निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज कालू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सांवला आत्मज कालू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. पिस्ता बाई पत्नी मिठू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. सेना पुत्री मिठू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. मैना पुत्री मिठू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. सीमा पुत्री मिठू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. मांगी बेवा कालू जाति मीना निवासी रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1496/1112 रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.05.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति वाले प्रकरणों को ही निर्णित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि राजस्व मण्डल व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों व नोटिफिकेशन की पूर्णतया अवहेलना करते हुए लोक अदालत की भावना से विपरीत जाकर पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी पेचिदिगियों में उलझाते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । दोनों पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा